

# देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1434/भू अ०

दिनांक : 04/9/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—सिरसिया, थाना—पालोजोरी, थाना सं०—478, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा—फुटानी चौक—डीगरी—डुमरिया मोड़—महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—सिरसिया, थाना—पालोजोरी, थाना सं०—478, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.91 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3/क	313	रैयती	बाड़ी-2	0.09	गोरीह मारवाड़ी मूल रैयत वल्द गंगा राम मारवाड़ी (ज०रै०)	सीत लुडी ह चांदा पुर(4 51)	अर्जित खेसरा का शेष अंश	सोना तर (429)	महेश बयान (480)
2	3/क	330	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
3	4	325	रैयती	बाड़ी-2	0.06	महेश्वर महतो, पिता—समर महतो वो भुनेश्वर महतो वो महावीर महतो वो वंशीधर महतो, पिता—तेजु महतो। अंश समान				
4	4	327	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
5	5	308	रैयती	बाड़ी-2	0.08	कीनु महतो वो जानकी महतो (RT)				
6	8	326	रैयती	बाड़ी-2	0.03	नवल मुर्मू वो मानिक मुर्मू पिता—मुलीन्द मुर्मू वो रसीलाल मुर्मू पिता—रामेश्वर मुर्मू वो बलु मुर्मू वो सुशील मुर्मू पिता—जीतन मुर्मू जाति—संथाल नि० नीज ग्रम				
7	10	324	रैयती	बाड़ी-2	0.12	महेश्वर महतो, पिता—समर महतो वो भुनेश्वर महतो वो महावीर महतो वो वंशीधर महतो।				
8	13	309	रैयती	बाड़ी-2	0.46	डिस्को मिर्धा, पिता—रामजी मिर्धा वो मनोहर मिर्धा पिता हाकिम मिर्धा अंश समान।				
9	14	333	रैयती	बाड़ी-2	0.07	भोलानाथ राय वल्द बासकीराय वो मो० गोरा देव्या जौजे नारायण राय वो द्रूपदी देव्या वो हरिहर राय पे०चुडु राय। शा० बेहरा (मूल रैयत)				
10	14	323	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव				
11	14	331	रैयती	बाड़ी-2	0.12	तथैव				
12	14	332	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
13	14	334	रैयती	बाड़ी-2	0.30	मोसमात गौरा देव्या वो द्रूपदी देव्या (RT)				
14	15	419	रैयती	बाड़ी-2	0.07	झादे सोरेन, पिता—कबीर सोरेन वो अनाध सोरेन वो अमित सोरेन, पिता—वीरू सोरेन वो मसुदन सोरेन, पिता—हाकिम सोरेन वो रावण				

						सोरेन पिता-ठाकुर सोरेन जाति संधाल नि० नीज ग्र०			
15	17	420	रैयती	बाड़ी-2	0.17	बाबुधन हेमरम वो बरियार हेमरम वो लाल हेमरम वो छोटे लाल हेमरम वो मंटु हेमरम पिता-बिपन हेमरम जाति संधाल नि० नीज ग्राम			
16	18	322	रैयती	बाड़ी-2	0.07	रधु राय बल्द बाबुलाल राय वो साहेब राय वो रूपु राय पे० गुलाब राय वो हाकिम राय वल्द महरु राय। श० देहरा।			
17	18	312	रैयती	बाड़ी-2	0.05	मुस्तवाहा।			
कुल रकवा-					1.91				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

देवघर  
23/8/21

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 1434 / भू अ०, देवघर, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

देवघर  
23/8/21

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।